राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.7 (53)परि/नियम/मु./06/पार्ट–II/ 6057 जयपुर, दिनांक :– 13/04/20

कार्यालय आदेश 08/2015

विषय : नियम विरूद्ध डीजल फ्यूल टैंक की क्षमता बढ़ाने वाले ट्रकों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में।

सामान्यतः ट्रकों में मूल डीजल टैंक की क्षमता 250–300 लीटर होती है। केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 126 के तहत प्रत्येक वाहन निर्माता को उसके द्वारा निर्मित वाहन का प्रोटोटाईप अनुमोदन उक्त नियम में विर्निदिष्ठ जांच एजेन्सी से करवाना आवश्यक है। जांच एजेन्सी उक्त मॉडल के वाहन के फ्यूल टैंक की क्षमता भी अनुमोदित करती है। नियमानुसार मूल फ्यूल टैंक की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि पडोसी राज्य में डीजल की कम दर होने के कारण कतिपयः ट्रक मालिकों ने अपने वाहनों के डीजल टैंक में बदलाव कर टैंक की क्षमता कई गुना तक कर ली है। इसके अतिरिक्त अनेक ट्रकों में नियम विरूद्ध अतिरिक्त फ्यूल टैंक भी वाहन के दूसरी तरफ लगा रखा है। वृद्धिकृत फ्यूल टैंक क्षमता होने के कारण वाहन स्वामी डीजल की अधिकांश खरीद राजस्थान राज्य के बाहर से करता है तथा इससे राज्य में डीजल की बिक्री प्रभावित होती है एवं राज्य सरकार को डीजल पर मिलने वाले वैट की राजस्व हानि होती है। साथ ही डीजल टैंक में परिवर्तन करना नियम विरूद्ध होने के साथ ही असुरक्षित भी है।

अतः उपरोक्त संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. वाहन की यांत्रिक फिटनेस के समय जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन में अनुमोदित क्षमता वाला फ्यूल टैंक ही लगा हो तथा कोई अतिरिक्त फ्यूल टैंक वाहन में नहीं लगा हो।
2. प्रवर्तन अधिकारीगण (निरीक्षक/उप निरीक्षक) सामान्य चैकिंग के दौरान फ्यूल टैंक से संबंधित उपरोक्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे। यदि चैकिंग के दौरान किसी वाहन के मूल फ्यूल टैंक में परिवर्तन पाया जावे अथवा वाहन में अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगा पाया जावे तो उपरोक्त वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
3. राज्य के सभी कर संग्रह केन्द्रों पर पदस्थापित निरीक्षकगण उपरोक्त वर्णित वाहनों की विशेष रूप से जांच करेंगे।

उक्त निर्देशों की पालना कठोरतापूर्वक सुनिश्चित की जावे अन्यथा संबंधित निरीक्षक/अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांक :– प.7(53)परि/नियम/मु./06/पार्ट–।।/ 6058–6065 जयपुर, दिनांक :– 13/04/2015

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
2. निजी सचिव, वाणिज्य कर आयुक्त ।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .....।
4. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन) .....।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ..... को निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधीन संचालित निजी फिटनेस जांच केन्द्रों से भी उक्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. समस्त जिला परिवहन अधिकारी .....।
7. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र ..... ।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)